

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2577]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 2017/भाद्र 15, 1939

No. 2577]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 6, 2017/BHADRA 15, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

का.आ. 2938(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 458 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन स्वयं में विहित शक्तियों और कार्यों को मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद और शिलांग स्थित क्षेत्रीय निदेशकों को इस शर्त के अध्यधीन प्रत्यायोजित करती है कि यदि केंद्रीय सरकार का मत हो कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक होगा तो उक्त उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन रद्द कर सकती है या इनका स्वयं प्रयोग कर सकती है।

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 1/06/2014-सीएल-V] अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 6th September, 2017

S.O. 2938(E).—In exercise of the powers conferred by section 458 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby delegates to the Regional Directors at Mumbai, Kolkata, Chennai, New Delhi, Ahmedabad, Hyderabad and Shillong, the powers and functions vested in it under sub-section (2) of section 66 of the said Act, subject to the condition that the Central Government may revoke such delegation of powers or may itself exercise the powers under the said sub-section, if in its opinion such a course of action is necessary in the public interest.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/06/2014-CL-V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

5555 GI/2017

10054. RAKESH

SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.08 11:57:22 +05'30'